न्यायानय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

कैम्प – लूणवा

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. सुवाराम पुत्र कानाराम कुमावत
2. भागचन्द पुत्र कानाराम कुमावत

सा. गौरवपुरा तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गोगाराम पुत्र कानाराम कुमावत
2. जेठाराम पुत्र कानाराम कुमावत
3. मनीदेवी बेवा कानाराम (फौत)
4. सरदाराराम पुत्र कानाराम गुर्जर
5. घीसीदवी पत्नी पदमाराम गुर्जर
6. गोरधनराम पुत्र पदामाराम गुर्जर
7. बलवीरराम पुत्र पदामाराम गुर्जर
8. राजूराम पुत्र पदमाराम गुर्जर
9. रामूराम पुत्र पदमाराम गुर्जर
10. सोनीूराम पुत्र पदमाराम गुर्जर
11. अमराराम पुत्र बनाराम गुर्जर
12. नानूराम पुत्र बनाराम गुर्जर
13. सुवाराम पुत्र बनाराम गुर्जर
14. कजाराम पुत्र रामकरण गुर्जर
15. मांगीदेवी बेवा रामकरण गुर्जर
16. रूड़ा वल्द सांवता गुर्जर
17. सिंजारी पत्नी सुजाराम गुर्जर
18. मालूराम पुत्र सुजाराम गुर्जर
19. राजूराम पुत्र सुजाराम गुर्जर
20. सुनील पुत्र सुजाराम गुर्जर
21. मंजू पुत्री सुजाराम गुर्जर

    सा. गौरवपुर तह. नांवा
22. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक लूणवा
23. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– वादीगण व प्रतिवादीगण।

मुकदमां नम्बर :– 139/2014

निणर्य दिनांक :– 25/5/17

निर्णय

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 संगे भाई हैं तथा प्रतिवादी 3 उनकी माता हैं ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 616, 617, 621, 622, 623 कुल रकबा 4.40

25/5/17

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 से 22 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं उक्त भूमियों का आज से करीब 3.–40 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवारा कर वादीगण व प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 623 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि में सबसे उत्तरी तरफ 0.2625 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 गोगराम के व इसके दक्षिणी तरफ 0.2625 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 2 जेठाराम के इसके दक्षिण में 0.2625 हैक्टयर भूमि वादी 2 भागचन्द के तथा इसके दक्षिण में 0.2625 हैक्टयर भूमि वादी सुवालाल के कब्जे काश्त में हैं तथा इसके दक्षिण में 0.05 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 के कब्जे काश्त में आने जाने के लिऐ रास्ते हेतु संयुक्त रूप से छोड़ी हुई है। शेष भूमि खसरा नम्बर 616, 617, 621, 622 में वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 का कोई कब्जा काश्त व हक हिस्सा नहीं हैं पूर्व में खसरा नम्बर 623 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि स्व. कानाराम के कब्जे काश्त व हक हिस्से में चली आ रही थी जिनका स्वर्गवास होने पर वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 को जरिये विरासत में खातेदारी प्राप्त हुई हैं प्रतिवादी 3 वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 की माता हैं जिसका दौराने वाद स्वर्गवास हो चुकां हैं इस खसरा नम्बर की भूमि पर प्रतिवादी 4 से 21 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं वादीगण ने वाद पेश कर उपरोक्त बताऐ अनुसार वादी व प्रतिवादी 1 से 2 की खातेदारी में घोषणा कर अलग बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम किऐ जाने व शेष खसरा नम्बरान में से वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 का नाम हटाऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने पर दिनांक 20.01.2016 को केवल प्रतिवादी 18 की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल नेहरा ने वकालतनाम पेश कर जवाब हेतु समय चाह था शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी दौरान प्रतिवादी 3 फोत हो गई जिसके कायम मुकामान पूर्व से वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 रिकार्ड पर होने से प्रतिवादी 3 का नाम हफज किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत लूणवा में पेश हुई जहां वादीगण व प्रतिवादी 1, 2, 4, 17, 19, 21, उपस्थित हुऐ जिन्हो जिन से राजस्व लोक अदालत शिविर में ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष समझाईश की गई जिसके बाद पक्षकारान ने वादीगण का वाद सही होना स्वीकार किया तथा वाद में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 623 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि पर केवल वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 का ही कब्जा काश्त वर्षो से होना स्वीकार किया हैं तथा वाद में चाही गई रिलिफ अनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जाती हैं तो किसी भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया हैं तथा शिविर में उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने वादीगण व अन्य सभी सह खातेदारो के बीच उक्त भूमि का वर्षो पूर्व बंटवारा होकर अलग अलग काबिज काश्त होना व अलग अलग सींवे माठें कायम होना बताया हैं, मजमें आम पक्षकारो को सुना जाकर पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया ।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 616, 617, 621, 622, 623 कुल रकबा 4.20 हैक्टयर भूमि सरदाराराम पुत्र कानाम, सुजाराम पुत्र काना गुर्जर, घीसीदेवी पत्नी पदामाराम, गोरधनराम बलवीरराम, राजूराम रामूराम सोनूराम पि. पदमाराम सुराराम अमराराम नानू सुवा पि. बनाराम , कजाराम पुत्र रामकरण मांगीदेवी बेवा रामकरण सुडा वल्द सांवता कौम गुर्जर सा. देह गोगाराम जेठाराम सुवालाल भागचन्द पि. कानाराम , मन्नीदेवी बेवा कानाराम कुमावत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 से

25/5/17

अधिकारी

21 उक्त विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं वादीगण व प्रतिवादीगण एवं ग्राम के मौजीज व्यक्तियों द्वारा बताऐ अनुसार वर्षो पूर्व उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा होकर खसरा नम्बर 623 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि केवला वादी व प्रतिवादी 1 से 3 के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि होना बताया हैं जिसको वादीगण व उपस्थित सह खातेदार एवं प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया हैं, राजस्व लोक अदालत शिविर में मजमे आम उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने भी सही होना स्वीकार किया हैं जिससे उक्त वाद में ओर किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, शेष प्रतिवादीगण के सम्मन भी न्यायालय में तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं जिससे अन्य प्रतिवादीगण की भी वादीगण के वाद बाबत मौन स्वीकृति होना प्रतीत होता हैं, जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद '' न्याया आपके द्वार'' राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत लूणवां में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता हैं कि ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 616, 617, 621, 622, 623 कुल रकबा 4.40 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 623 रकबा 1.10 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि में सबसे उत्तरी तरफ 0.2625 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 गोगाराम, इसके दक्षिण में .2625 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 2 जेठाराम, इसके दक्षिण में .2625 हैक्टयर भूमि का वादी संख्या 2 भागचन्द, इसके दक्षिण में 0.2625 हैक्टयर भूमि का वादी 1 सुवालाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सुवालाल के दक्षिण में 0.05 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 के हक हिस्से में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में संयुक्त खातेदारी में रहेगी। शेष भूमि खसरा नम्बर 616, 617, 622 में वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 व 3 मनीदेवी का नाम हटाया जावे। तदनुसार खातेदारी दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 की अलग होल्डिंग कायम की जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिकी पर्चा जारी हो।

यह आदेश ''न्याय आपके द्वार'' शिविर में दिनांक 25/5/17 को मजमें आम सुनाया गया।

(एस.एस.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा